रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-28032024-253448
SG-DL-E-28032024-253448

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 16]	दिल्ली, बुधवार, मार्च 27, 2024/चैत्र 7, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 506
No. 16]	DELHI, WEDNESDAY, MARCH 27, 2024/CHAITRA 7, 1946	[N. C. T. D. No. 506

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2024

सं. 22/नियम/डीएचसी.— दिल्ली उच्च न्यायालय अधिनियम, 1966 (1966 का अधिनियम 26) की धारा 7 सहपठित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 122 एवं 129 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय, एतद् द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय नियम एवं आदेश, खंड V के अध्याय 3 भाग क में निम्नलिखित संशोधन करता है:-

संशोधन

दिल्ली उच्च न्यायालय के नियमों और आदेशों के खंड V के अध्याय 3 के भाग क के मौजूदा नियम 8 के बाद निम्नलिखित को नियम 8 (क) के रूप में शामिल किया जाएगा: -

"8(क). व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो रहे पक्षकार - न्यायालय स्व-विवेक से और संक्षिप्त कारण दर्ज करने के बाद, किसी पक्षकार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से रोक सकता है।

बशर्ते, ऐसी स्थिति में न्यायालय व्यक्तिगत पक्षकार को पक्षकार की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त समय देगा या जहां पक्षकार न्यायालय द्वारा नियुक्त न्याय मित्र या कानूनी सहायता अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व करना चाहता है।"

<u>नोट</u>: यह संशोधन राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

न्यायालय के आदेशानुसार,

कंवल जीत अरोड़ा, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI: NEW DELHI

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2024

No. 22/Rules/DHC.— In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Delhi High Court Act, 1966 (Act 26 of 1966) read with Sections 122 and 129 of the Code of Civil Procedure, 1908 and all other powers enabling it in this behalf, the High Court of Delhi, hereby makes the following amendment in Part A of Chapter 3 of Volume V of the Delhi High Court Rules & Orders :-

<u>AMENDMENT</u>

THE FOLLOWING SHALL BE INSERTED AS RULE 8A AFTER THE EXISTING RULE 8 OF PART A OF CHAPTER 3 OF VOLUME V OF THE DELHI HIGH COURT RULES & ORDERS :-

"8A. Party appearing in person — The Court may, in its discretion and after recording its brief reasons, disallow a party from appearing in person.

Provided, in such event the Court will give sufficient time to the party-in-person to be represented by a lawyer of the party's choice or where the party desires to be represented by an Amicus Curiae or legal aid counsel appointed by the Court."

<u>NOTE:</u> THIS AMENDMENT SHALL COME INTO FORCE FROM THE DATE OF ITS PUBLICATION IN THE GAZETTE.

By Order of the Court,

KANWAL JEET ARORA, Registrar General

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2024.03.28 22:36:23 +05'30'